न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस

जस्व आवेदन संख्या 54 / 2025

प्रार्थी **बनाम** विप्रार्थीगण

प्रार्थी

1. भैराराम पुत्र भूराराम वयस्क
2. बांकाराम पुत्र सोनाराम वयस्क
3. अणसीदेवी पत्नि साजनराम वयस्क
4. डाउराम पुत्र साजनराम वयस्क
5. मांगी पत्नि पूनमाराम वयस्क
6. गेनीदेवी पुत्री राजूराम वयस्क
7. गेरोदेवी पत्नि राजूराम वयस्क
8. भुपेन्द्रसिंह पुत्र राजूराम वयस्क
9. भंवरलाल पुत्र राजूराम वयस्क
10. लूणीदेवी पुत्री राजूराम वयस्क जातियान जाट निवासी बायतु तहसील हाल निवासी आमजर करना तहमील सिणधरी जिला बालोतरा

विप्रार्थीगण

1. कुंभाराम पुत्र पदमाराम वयस्क
2. खरथाराम पुत्र पदमाराम वयस्क
3. घमडाराम पुत्र शैरामाराम वयस्क
4. टीकमाराम पुत्र शैरामाराम वयस्क
5. भोजाराम पुत्र लक्ष्मणराम वयस्क
6. भोमाराम पुत्र लक्ष्मणराम वयस्क
7. चनणीदेवी पत्नि घमण्डाराम वयस्क
8. बालाराम पुत्र घमण्डाराम वयस्क
9. भलाराम पुत्र घमण्डाराम वयस्क
10. रामाराम पुत्र घमण्डाराम वयस्क
11. देराजराम पुत्र गोमाराम वयस्क
12. मदरूपाराम पुत्र गोमाराम वयस्क
13. लिखमाराम पुत्र गोमाराम वयस्क
14. बांकाराम पुत्र दमाराम वयस्क
15. भगाराम पुत्र दमाराम वयस्क
16. माधाराम पुत्र दमाराम वयस्क
17. मेहाराम पुत्र उमाराम वयस्क
18. हनुमानराम पुत्र लाधूराम वयस्क जातियान जाट निवासी आमजर तहसील सिणधरी जिला बालोतरा
19. पनी पत्नि अचलाराम वय[illegible]
20. भंवरराम पुत्र [illegible]
21. साजनराम पुत्र अचलाराम वय[illegible]
22. रामुदेवी पत्नि रतनाराम वयस्क
23. सताराम पुत्र रतनाराम वयस्क
24. हीराराम पुत्र भीखाराम वयस्क
25. इन्दाराम पुत्र लालाराम वयस्क
26. वालाराम पुत्र लालाराम वयस्क
27. केसाराम पुत्र रूगनाथराम वयस्क
28. खेमाराम पुत्र रूगनाथराम वयस्क
29. दुदाराम पुत्र रूगनाथराम वयस्क
30. लालीदेवी पत्नि रूगनाथराम वयस्क

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:32:48 IST
Reason: SelfAttested

34. सिमथाराम पुत्र हेराजराम वयस्क
35. इशराराम पुत्र जोगाराम वयस्क
36. कमला पुत्री जोगाराम वयस्क
37. चेतनराम पुत्र जोगाराम वयस्क
38. नेनाराम पुत्र जोगाराम वयस्क
39. मूलीदेवी पत्नि जोगाराम वयस्क
40. मिरगो पुत्री जोगाराम वयस्क
41. सिरू पुत्री जोगाराम वयस्क
42. केसाराम पुत्र नन्दराम वयस्क
43. रूपाराम पुत्र नन्दराम वयस्क
44. जेरामाराम पुत्र हरखाराम वयस्क
45. धनाराम पुत्र हरखाराम वयस्क
46. देराजराम पुत्र हेमाराम वयस्क
47. पदमाराम पुत्र कनाराम वयस्क
48. लुम्बा पुत्र कनाराम वयस्क
49. हरचन्द पुत्र कनाराम वयस्क
जातियान जाट निवासी बायतू तहसील बायतू जिला बालोतरा, हाल निवासी आमजर, करना तह. सिणधरी जिला बालोतरा
50. तहसीलदार सिणधरी जिला बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 (वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति–

1. श्री पाबुराम बेनिवाल, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. विप्रार्थी संख्या 50 की ओर से पैरोकार उप. शेष एकतरफा।

आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:32:48 IST
Reason: SelfAttested

दि. 03.07.2025

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि प्रार्थीगण की खेत मौजा तहसील सिणधरी पटवार हल्का–करना के ग्राम आमजर में खेत खसरा संख्या 16, 16/1, 16/2, 16/3, 16/4 रकबा क्रमश 4.9511, 1.9012, 4.9834, 4.9834, 4.9834 हैक्टेयर खातेदारी का अवस्थित है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को

लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा तहसील सिणधरी पटवार हल्का–करना के ग्राम आमजर में खसरा संख्या 16, 16/1, 16/2, 16/3, 16/4 रकबा क्रमश 4.9511, 1.9012, 4.9834, 4.9834, 4.9834 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थीगण का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थीगण के खेत तहसील सिणधरी पटवार हल्का–करना के ग्राम आमजर में खसरा संख्या 16, 16/1, 16/2, 16/3, 16/4 रकबा क्रमश 4.9511, 1.9012, 4.9834, 4.9834, 4.9834 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा तहसील सिणधरी पटवार हल्का–करना ग्राम आमजर में खसरा संख्या 16, 16/1, 16/2, 16/3, 16/4 रकबा क्रमश 4.9511, 1.9012, 4.9834, 4.9834, 4.9834 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

4. हमनें वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया गया कि तहसील सिणधरी पटवार हल्का–करना ग्राम आमजर में खसरा संख्या 16, 16/1, 16/2, 16/3, 16/4 रकबा क्रमश 4.9511, 1.9012, 4.9834, 4.9834, 4.9834 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है, जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खत[illegible] 2076–2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है, इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि [illegible] रिकार्डड सहखातेदार है, और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिसके प्रार्थीगण हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है, इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती, तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करतें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:32:48 IST
Reason: SelfAttested

लिहाजा, प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर तहसील सिणधरी पटवार ल्का–करना के ग्राम आमजर में खेत खसरा संख्या 16, 16/1, 16/2, 16/3, 16/4 कबा क्रमश 4.9511, 1.9012, 4.9834, 4.9834, 4.9834 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के खम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त केया जाता है, उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिश्नर फीस 500/प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:32:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 03.07.2025 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुना